बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि १८ दिसम्बर १९५८ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीप नारायण सिंह—महाशय, मैं गत द्वितीय (नवम्बर–दिसम्बर, १९५७) सत्र के शेष ३६७ अतारांकित प्रश्नों में से १४४ अतारांकित प्रश्नों के उत्तर मेज पर रखता हूँ। शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्य।	प्रश्न संख्या।
१	श्रीमती मनोरमा देवी	७९, १२७, १५०, १६५
२	श्री वैद्यनाथ प्रसाद	८०
३	श्री सभापति सिंह	८१, ८३, ८५, ८६, १५५
४	श्री ब्रजनन्दन शर्म्मा	८२, ८७, २०६, २२०
५	श्री वैद्यनाथ प्रसाद सिंह	८४
६	श्री सुखदेव मांझी	८८, १०१, १३१, १३७
७	श्री गनौरी प्रसाद सिंह	८९
८	श्री प्रभुनारायण राय	९०, १७२, १९५
९	श्री रामानन्द तिवारी	९१, ९३, ९५, १०५, १०७, १०९, १२२, १२५, १२६, १३२, १३६, १३९, १४०, १४२, १४६, १४९, १८४, १९०, १९७, १९९, २११, २१४, २१७ और २२२।
१०	श्री रामदेव सिंह	९२, ९४, ९६, ११९
११	श्री देवी लाल जी	९७, २०५
१२	श्री राधानन्दन झा	९८
१३	श्री कर्पूरी ठाकुर	९९, ११०, ११३, १५६, २०८, २१५ और २१८।
१४	श्री कपिलदेव सिंह	१००, १०२, ११६, १२४, १३८, १४७, १५३, १६०, १६१, १६४, १६६, १६७, १७१, १९३, १९८, २०१ और २०९।
१५	श्री एस० के० बागे	१०३
१६	श्री जय नारायण झा 'विनीत' ..	१०४, ११२, १४५, १५९, १६९, १७६ और १९४।
१७	श्री देवधारी राम	१०६, २१०

टिप्पणी—कृपया उपर्युक्त १४४ अतारांकित प्रश्नों के उत्तर पृष्ठ १—२०० पर देखें।

(३) जी हां, परन्तु भूमि-अर्जन नहीं होने के कारण काम में विलम्ब हो रहा है।

(४) और (५) अस्थायी जमीन जो किसानों की ली गई है उसका मुआवजा दे दिया गया है। स्थायी जमीन का मुआवजा अभी नहीं दिया गया है जिसके लिये आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कारवाई समाप्त होने पर स्थायी जमीन का भी मुआवजा दे दिया जायगा।

निर्माण का कार्य चल रहा है तथा ६५ फी सदी कार्य समाप्त हो चुका है। जैसा कि ऊपर कहा गया है भूमि अर्जन समाप्त हो जाने पर कार्य शीघ्र ही समाप्त हो जाने की आशा है तथा जिन लोगों की जमीन ली जा रही है उन्हें मुआवजा भी दे दिया जायगा।

जिला बोर्ड के स्कूल की मरम्मत।

९६। श्री रामदेव सिंह—क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सारन जिला बोर्ड का एक हौस्पिटल और एक माध्यमिक विद्यालय खुजवां थाना रघुनाथपुर में है;

(२) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों संस्थाओं का भवन ध्वंस हो गया है और उसमें काम करना खतरे से खाली नहीं है;

(३) क्या यह बात सही है कि गत साल माध्यमिक विद्यालय के एक वर्ग का कमरा गिर जाने से सैकड़ों छात्र मर गये होते अगर ५ मिनट पहले उन छात्रों को छुट्टी होने के वजह नहीं निकल जाना पड़ा होता;

(४) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त संस्थाओं के भवन की मरम्मती के लिये पिछले कई साल से निवेदन किया जा रहा है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई;

(५) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हु, तो सरकार इस संबंध में कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है?

श्री मकबूल अहमद—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर नकारात्मक है।

(३) सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

(४) तथा (५) इन संस्थाओं के भवन की साधारण मरम्मत की गयी है परन्तु जिला पर्षद ने दोनों संस्थाओं के भवन की विशेष मरम्मत के प्राक्कलन तयार कराया है, जिसको अर्थाभाव के कारण कार्यान्वित करने में पर्षद को कठिनाई है।

पुल का निर्माण।

९७। श्री देवी लाल जी—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सारन जिले में खोदाईबाग बाजार (थाना मोफसिल छपरा के सटे उत्तर मही नदी में पुल निर्माण की आवश्यकता पर (कटौती प्रस्ताव संख्या (१७२७) पिछले बजट अधिवेशन में दिनांक २५ जून १९५७ को कटौती प्रस्ताव संख्या १७४५ के ऊपर विचार-विमर्श के सिलसिले में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था;

(२) क्या यह बात सही है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये वहां की जनता ने अस्थायी तौर पर चन्दा वसूली से ताड़-बांस का एक पुल तैयार कर लिया है ;

(३) क्या यह बात सही है कि इस पुल से होकर आना-जाना पूर्णतः सुरक्षित नहीं है तथा आधुनिक जरूरतों की पूर्त्ति के लिये अपर्याप्त है ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस कार्य की तुरत जांच करा कर इसके निर्माण की व्यवस्था करना चाहती है ?

श्री मकबूल अहमद—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है। परन्तु मही नदी के बदले गंडक

नदी होना चाहिए।

(२) तथा (३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पुल को शामिल करने के संबंध में सारन जिला बोर्ड से प्रस्ताव आने पर इसपर विचार किया जायगा।

EVACUATION OF THE VILLAGERS FROM THE HEART OF KOSI.

98. **Shri RADHA NANDAN JHA** : Will the Minister-in-charge Kosi Department be pleased to state—

(1) the names and number of the villages situated within the two embankments of the river Kosi ;

(2) the total population of the villages situated within the above embankments ; and

(3) the steps taken so far or to be taken to evacuate those villagers from the heart of the Kosi ?

श्री दीपनारायण सिंह—(१) कोशी के दोनों तटबन्धों के बीच पड़ने वाले गांवों की

संख्या ३०४ है, जैसा कि संलग्न सूची से ज्ञात होगा।

(२) कोशी तटबन्धों के बीच वाले गांवों की कुल जनसंख्या १,१३,९८९ है।

(३) स्थायी पुनर्वास योजना के अनुमोदित होने के पूर्व गत दो साल के बाढ़ में जिन्हें दोनों तटबंधों के मध्य स्थित क्षेत्र में पड़े हुए घरों को छोड़ना अति आवश्यक था उनके पुनर्वास के लिये भू-भाग में पर्याप्त अस्थायी झोपड़ियां निर्मित की गयी। लगभग ३,००० लोगों को १९५६ में आश्रय-प्रदान किया गया। इसी तरह इस वर्ष भी प्रायः २५,००० व्यक्तियों को आवासन दिया गया। २ करोड़ १२ लाख रुपये के लागत पर स्थायी पुनर्वास की एक योजना का अनुमोदन हुआ है जिसके अनुसार निम्नलिखित सुविधाओं का उपबन्ध किया गया है :—

(क) तटबन्ध के आस-पास बाढ़मुक्त जमीन में पुनर्वास किये जाने वाले गांवों के समीप ही घर बनाने के लिये पर्याप्त भूमि का उपबन्ध।

(ख) सामूहिक सुविधाओं, जैसे विद्यालय, सड़क आदि के लिये अतिरिक्त भूमि का प्रबंध।

(ग) पुनर्वास किये गये स्थानों में तालाब, जलाशय, कुएं आदि द्वारा जल-आपूर्त्ति की व्यवस्था।

(घ) गृह-निर्माण के लिये उचित अनुदान।